[2016] 2 एससीआर 292

लीलावती अग्रवाल आदि।

बनाम

झारखंड राज्य आदि।

(2007 की सिविल अपील संख्या 1363) अप्रैल 01, 2016

[दीपक मिश्रा, वी. गोपाल गौड़ा और कुरियन जोसेफ, जे.जे.]

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 - धारा 23(2) [भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1894द्वारा यथा संशोधित- भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 - धारा 30(2) - बढ़ी हुयी सांत्वना राशि - संशोधन अधिनियम की धारा 30(2) द्वारा यथा विस्तारित - रघुबीर सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए संशोधन अधिनियम की धारा 30(2) की व्याख्या - केएस परिपूर्णन (11) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्टीकरण - वर्तमान मामले में खंडपीठ ने रघुबीर सिंह के मामले में दिए निर्णय के आलोक में परिपूर्णन (ii)मामले कि सत्यता पर संशय ब्यक्त किया एवं मामला बड़ी पीठ को निर्दिष्ट किया अवधारित किया कि रघुवीर सिंह केस का निर्णय दो तिथियों 30-04-1982 एवम् 24-09-1984 के बीच पारित एवार्ड में सांत्वना राशि देने तक सिमित था वौर यह संशोधित तिथि के बाद पारित किसी एवार्ड से सम्बंधित नहीं था परिपूर्णन (ii) ममला संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद के एवार्ड के बारे में अभिधारणा करता है निर्णय रघुबीर सिंह के मामले के अनुरूप है - परिपूर्णन (11) मामले में निर्णय संविधान पीठ में प्राधिकारी के विपरीत नहीं है - वर्तमान मामले में एवार्ड संविधान अधिनियम के प्रवर्तन के बाद पारित किया था इसलिए परिपूर्णन (11) में उल्लिखित सिद्धांत पूरी तरह से लागू होंगे - उच्चतम न्यायालय के

संविधान पीठ द्वारा पारित सुंदर के मामले को ध्यान में रखते हुए परिकलित किए जाने के लिए निदेश दिए गए सांत्वना की राशि।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. रघुबीर सिंह के मामले में निर्णय केवल दो तिथियों, अर्थात् 30 अप्रैल, 1982 और 24 सितंबर, 1984 के बीच पारित पुरस्कार के संबंध में सांत्वना देने से संबंधित था। संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा संशोधित तारीख के बाद पारित किसी भी पुरस्कार से संबंधित नहीं था।

संविधान पीठ के निर्णय में वर्णित सिद्धांत का विचार आदि ।

292

रघुबीर सिंह मामला और तीन न्यायाधीशों में की पीठ द्वारा क्या स्पष्ट किया गया है

केएस परिपूर्णन (II) मामले में बेंच के फैसले के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि तीन-न्यायाधीशों की बेंच का फैसला संविधान पीठ में प्राधिकरण के विपरीत है। यह धारा 30(2) की भी अलग व्याख्या नहीं करता है कि संविधान पीठ ने क्या कहा है। वास्तव में, **केएस परिपूर्णन (II) ने स्पष्ट रूप से उन निर्णयों के बारे में बताया है जो संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद अदालत द्वारा पारित किए गए हैं जो * रघुबीर सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात के अनुरूप हैं। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केवल यह टिप्पणी की है कि रघुबीर सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई प्रतिबंधित व्याख्या से यह पता नहीं चलना चाहिए कि धारा 23(2) अधिनियम के लागू होने के समय या उसके बाद लंबित सिविल न्यायालय के पंचाटों पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार, जिस विवाद के साथ तीन न्यायाधीशों की पीठ काम कर रही थी, वह बिल्कुल अलग था और इसके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से रघुबीर सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम

की धारा 23 (2) में निहित प्रावधानों के अनुरूप भी है। इसलिए, केएस परिपूर्णन (11) मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसने *रघुबीर सिंह के मामले में उजागर नियम को उचित रूप से समझा है। [Paras_8 और 10 [301-ई-एफ; 302-डी-जी.

* भारत संघ और अन्य बनाम रघुबीर सिंह (मृत) एलआरएस आदि द्वारा (1989) 2 एससीसी 754:1989 (3) एससीआर 316; **केएस परिपूर्णन (आईएल) बनाम केरल राज्य और अन्य (1995) 1 एससीसी 367: 1994 (4) पूरक एससीआर 696 की व्याख्या की गई।

लीलावती अगनवाल (मृत) एलआरएस और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2008) 15 एससीसी 464: 2008 (5) एससीआर 1160; के. कमलजन्ननियावरु बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1985) 1 एससीसी 582:1985 (2) एससीआर 914; भाग सिंह बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र (1985) 3 एससीसी 737: 1985 (2) पूरक एससीआर 949; पंजाब राज्य बनाम मोहिन्दर सिंह 2008(15) एससीसी 464 2008 (5) एससीआर 1160 - संदभत है।

2. वर्तमान मामले में पुरस्कार संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था 30 [वां] सितंबर, 1985। इसलिए, इस बात का कोई रंच मात्र संदेह नहीं हो सकता है कि ** केएस परिपूर्णन (II) मामले में कहा गया सिद्धांत पूरी तरह से लागू होगा। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा गलत तरीके से कहा है कि **केएस परिपूर्णन (11) मामले में कहा गया सिद्धांत लागू नहीं होगा। अपीलकर्ता **केएस परिपूर्णन (II) मामले में निर्धारित कानून के अनुसार लाभ का हकदार होगा। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता *** केएस परिपूर्णन (I) बनाम केरल राज्य में निर्णय के मद्देनजर धारा 23 (1 ए) के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं। राशि की गणना करते समय प्रतिवादी सुंदर के मामले में निर्णय को ध्यान में रखेगा। यदि प्रतिवादी निर्णय का अनुपालन नहीं करता है, तो निष्पादन लगाया जा सकता है और उस समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जा सकता है क्योंकि यह डिक्री का एक हिस्सा है। प्रतिवादियों को निर्देश

दिया जाता है कि वे छह सप्ताह के भीतर निष्पादन अदालत में राशि जमा करें। यदि कोई राशि पहले ही जमा की जा चुकी है, तो राशि की गणना करते समय उसे ध्यान में रखा जाएगा। [पैरा 12, 14 और 151 [302-एच; 303-ए-डी; 304-बी-स

**केएस परिपूर्णन (आईएल) बनाम केरल और अन्य के राज्य (1995) 1 एससीसी 367:1994 (4) पूरक एससीआर 696 - पर भरोसा किया।

* सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एससीसी 211: 2001 (3) पूरक एससीआर 176 - का पालन किया।

केएस परिपूर्णन (I) बनाम केरल राज्य (1994) 5 एससीसी 593: 1994 (3) पूरक एससीआर 405 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

2008 (5)एससीआर 1160	संदर्भित	पैरा 1
1989 (3) एससीआर 316	समझाया	पैरा 1
1994 (4) पूरक एससीआर 696	समझाया	पैरा 1
	पर भरोसा किया।	पैरा 12
1985 (2) एससीआर 914	रेफरी किया गया।	पैरा 5
1985 (2) पूरक एससीआर 949	संदर्भित किया जाता है।	पैरा 5
2008 (5)एससीआर 1160	संदर्भित किया जाता है।	पैरा 6

1994 (3) पूरक एससीआर 405	संदर्भित किया जाता है।	पैरा 12
2001 (3) पूरक एससीआर 176	बाद।	पैरा 13

आदि।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2007 का 1363

1986 की मूल डिक्री संख्या 32 और 33 से अपील में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 19.02.2003 के निर्णय और आदेश से

हिमांशु मुंशी डॉ. गजेन्द्र प्रसाद सिंह दुर्गा दत्ता। अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट मनीष गरानी। अजीत कुमार सिन्हा। सीनियर एडवोकेट गोपाल प्रसाद। शशांक सिंह। श्री अनिप सच्थे, सुश्री अंजलि चौहान। प्रतिवादी के लिए उनके साथ हिलनांशु मुंशी, एडवोकेट।	जन्म

निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने

लीलावती अग्रवाल (मृत) द्वारा एलआरएस और अन्य बनाम झारखंड राज्य में

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम रघुवीर सिंह (मृत) के पैराग्राफ 31,34 को संदर्भित करते हुए केएस परिपूर्णन (II) बनाम केरल और अन्य में निर्णय की शुद्धता के संबंध में संदेह व्यक्त किया- और अंततः इस प्रकार व्यक्त किया: -

"रघुबीर सिंह मामले में दो अंतिम बिंदु तय किए गए थे अर्थात कलेक्टर द्वारा अवार्ड या संदर्भ न्यायालय का निर्णय 3-4-1982 और 24-9-1984 के बीच लिया गया था। पैरा 34 की अंतिम पंक्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मामले का निर्णय उपर्युक्त अन्तक

विन्दुओ के बीच किया गया है। परिपूर्णन II मामले में पैरा 4 में यह देखा गया था कि प्रतिबंधात्मक व्याख्या नहीं दी जानी चाहिए। बहुत सम्मान के साथ हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वास्तव में एक तीन-

माननीय न्यायाधीश की पीठ संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से दी गई व्याख्या से भिन्न व्याख्या देने का प्रयास कर रही थी।

इसलिए, हम परिपूर्णन II मामले में पैरा 4 में दिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को संदर्भित करना उचित समझते हैं कि एक प्रतिबंधित व्याख्या होनी चाहिए

रघुबीर सिंह मामले के पैरा 34 में जो कहा गया है, उसके आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए।

आवश्यक विवरण के लिए अभिलेख भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाये

(2008 एससीसी 464

- (1989) 2 एससीसी

(1995) एससीसी 367

पूर्वोक्त आदेश के आधार पर। मामला को हमारे सामने रखा गया है।

1. जैसा कि हम समझते हैं, एक राय व्यक्त करना आवश्यक है कि क्या केएस परिपूर्णन (II) में निर्णय की शुद्धता पर संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त बी मामले में निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी है।
2. विवाद की सराहना करने के लिए, हम रघुबीर सिंह (सुप्रा) से पैराग्राफ 30, 31 और 34 को पुन: प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

••30. अब हम संदर्भ के गुणों पर आते हैं। संदर्भ 1984 के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम की धारा 30 (2) की व्याख्या तक सीमित है। संशोधन अधिनियम के अधिनियमन से पहले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम (शीघ्र ही मूल अधिनियम) की धारा 23(2) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार परिकलित भूमि के बाजार मूल्य पर 15% की दर से सोलेटियम का प्रावधान किया गया था। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक, 1982 को 30 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था। भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 1984 के अधिनियमन के बाद 24 सितम्बर, 1984 से प्रचालन शुरू किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 15 ने मूल अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन किया और 15 प्रतिशत शब्दों के स्थान पर 30 प्रतिशत शब्दों को प्रतिस्थापित किया। संसद का इरादा था कि सांत्वना राशि का लाभ सीमित मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यहां तक कि उस तारीख से पहले की गई अधिग्रहण कार्यवाहियों के संबंध में भी। इसने संशोधन अधिनियम में धारा 30 (2) को अधिनियमित करके उस इरादे को प्रभावित करने की मांग की। संसोधन अधिनियम की धारा 30 (2) कहती है :

"(2) मूल अधिनियम की धारा 23...... की उपधारा (2) के उपबंध, इस अधिनियम की धारा 15........ के खंड (बी) द्वारा संशोधित ... . लागू होगा और कलेक्टर या न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी पुरस्कार के संबंध में या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में लागू होने के लिए समझा जाएगा, 30 अप्रैल, 1982 के बाद भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 1982। के सदन में रखने की तारीख और इस अधिनियम के लागू होने से पहले।

3 1 . धारा 30(2) के अर्थानुसार यह स्पष्ट होना भी उचित है कि कलेक्टर द्वारा यहां संदर्भित पुरस्कार है

मूल अधिनियम की धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा बनाया गया, और

न्यायालय द्वारा दिया गया पुरस्कार मूल अधिनियम की धारा 19 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ पर मूल अधिनियम की धारा 23 के तहत मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया पुरस्कार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संवर्धित सांत्वना का लाभ 30 अप्रैल 1982 और 24 सितंबर, 1984 के बीच कलेक्टर द्वारा किए गए पुरस्कार के संबंध में धारा 30 (2) द्वारा अभिप्रेत है। इसी तरह बढ़ाया सांत्वना का लाभ धारा द्वारा 30 (2) बढ़ाया जाता है के बीच न्यायालय द्वारा किए गए एक पुरस्कार के मामले में 30 अप्रैल 1982 तथा .24 सितंबर 1984, के बीच ही यह पहले किए गए पुरस्कार से संदर्भ पर हो 3() अप्रैल, 1982.

34. हमारा ध्यान पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह* में दिए गए आदेश की ओर आकर्षित किया गया था, लेकिन उन कारणों के बयान के अभाव में, जिन्होंने विद्वान न्यायाधीशों को उनके द्वारा किए गए विचार को लेने के लिए राजी किया, हमें उस निर्णय का समर्थन करना मुश्किल लगा। इसे विद्वान न्यायाधीशों का अनुमोदन प्राप्त हुआ जिन्होंने भाग सिंह का निर्णय किया,

लेकिन भाग सिंह (सुप्रा) के फैसले में, जैसा कि हमने पहले कहा है, धारा 30(2) के सभी भौतिक प्रावधानों को उचित महत्व देने के लिए छोड़ दिया गया है, और परिणामस्वरूप हम खुद को भिन्न पाते हैं

इसके साथ। विद्वान न्यायाधीशों ने इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आगे बढ़ाया कि अपील धारा 1 8 के तहत संदर्भ के माध्यम से न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही की निरंतरता है, लेकिन हमारी राय में, एक सामान्य सिद्धांत के आवेदन को सीमित करना चाहिए

वैधानिक प्रावधान की शर्तें। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने सामान्य सिद्धांत पर जोर से भरोसा किया है कि अपील मूल मामले की फिर से सुनवाई है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं कि वह उस सिद्धांत को लागू करने में अच्छे आधार पर हैं।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील बताते हैं कि धारा 30(2) में कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के संदर्भ और अपील में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बीच एक विच्छेदन के रूप में शब्द 'या' का उपयोग किया गया है और, वे कहते हैं, ठीक से समझा गया है कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि अवधि 30अप्रैल , 1982 से 24 सितम्बर, 1984 तक का समय सीमा के रूप में उतना ही लागू होता है जितना कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का अपीलीय आदेश जैसा कि यह है

. कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिए गए पुरस्कार के लिए। हम सोचते हैं कि संसद का आशय यह है कि धारा 30(2)

का लाभ उक्त दो तारीखों के बिच कलेक्टर या न्यायालय द्वारा पारित पंचाट पर या कलेक्टर या न्यायालय द्वारा उक्त दो तारीखों के बिच पारित पंचाट से उत्पन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अपीली आदेश पर लाभ प्राप्त होगा ।

शब्द “या “ का प्रयोग तब होता है जब कार्यवाही चलने की अवस्था के समय के सन्दर्भ में धारा 30 (2) का लाभ बढ़ाने की मांग होती है यदि उक्त दो तारीख के बिच कलेक्टर या न्यायालय के अवार्ड में कार्यवाही परिवर्तित होती है , उक्त दो तारीख के बिच बने ऐसे अवार्ड पर धारा 30 (2) का लाभ दिया जायेगा ।

यदि कार्यवाही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील अवस्था में चली गयी है।

इस अवस्था में धारा 30 (2) का लाभ मिलेगा किन्तु प्रत्येक वाद में कलेक्टर या न्यायलय का पंचाट 30 अप्रैल 1982 और 24 सितम्बर 1984 के बिच का बना होना चाहिए।

4. रघुबीर सिंह (सुप्रा) में। संविधान पीठ को संदर्भित विधि का प्रश्न था:-

क्या भूमि अर्जन अधिनियम 1 894 के अंतर्गत भूमि अर्जन (संसोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा यथा निर्धारित दावेदार 30% सांत्वना राशि बाज़ार मूल्य के आधार पर पाने के हक़दार है

उन तारीखों की जिन पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी या जिन तारीखों को अवार्ड पारित किया गया था के निरपेक्ष ।

5. उक्त मामले में। मुआवजे के संबंध में पंचाट कलेक्टर द्वारा मार्च 1963 में पारित किया गया था। और अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ का निपटारा 10 जून, 1968 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया था। संदर्भ न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1 894 (संक्षिप्तता के लिए, • अधिनियम) के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति को बढ़ाया था। मांगकर्ता ने आगे मुआवजे का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपील के लंबित रहने के दौरान, भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक1982 , 30 अप्रैल 1982 को संसद में पेश किया गया। और भूमि अधिग्रहण (संसोधन) अधिनियम 1984 बन गया जब 24 सितम्बर 1984 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश 6 दिसंबर, 1984 के द्वारा अपील का निपटारा किया। इसने मुआवजा की दर बढ़ा दी, इसने क्षतिपूर्ति पर देय ब्याज की दर भी बढ़ा दी और अधिनियम को ध्यान में रखते हुए सांत्वना राशि 30% कर दिया । उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी और एक दो जज पीठ ने

कमला जमा नियावारू बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी , और भाग सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी बेंच को संदर्भित करना उचित समझा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः रघुवीर सिंह (सुप्रा) में फैसला आया।

6. रघुबीर सिंह (सुप्रा) में उक्ति को समझना। यह समझना आवश्यक है कि भाग सिंह (सुप्रा) में क्या कहा गया था और रघुबीर सिंह (सुप्रा) में क्या खारिज किया गया है। भाग सिंह (सुप्रा) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ संशोधन अधिनियम की धारा 30 (2) की व्याख्या से संबंधित कानून के सवाल पर विचार कर रही थी। उक्त मामले में, 9 अक्टूबर, 1975 को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा अवार्ड पारित किया गया था और संदर्भ न्यायालय ने 3 जुलाई, 1979 को अवार्ड पारित किया था। संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। न्यायाधीश की पीठ ने

पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह और के. कमलाजम्मामनियावारू (सुप्रा) और मोहिन्दर सिंघी के मामले में विचार किया एवं मोहिंदर सिंह के विचार से सहमत थे एवं के कमता जमा जिया वारू में दिए विचार पर असहमति जताई ।

भाग सिंह (सुप्रा) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से सहमत होते हुए इस प्रकार कहा है: -

पीठ ने कहा, 'हम पहले विचार कर सकते हैं कि यदि धारा 30 की उपधारा (2) को लागू नहीं किया गया और धारा 30 में संशोधन नहीं किए गए तो स्थिति क्या होगी।

23 उपधारा (2) और धारा 28 केवल उस तारीख से प्रभावी थे जिस दिन वे बने थे। अर्थात्, 24 सितंबर। 1984 जब संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे लागू किया गया। यदि संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख में, मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही अधिनियम की धारा । । के तहत कलेक्टर के समक्ष या अधिनियम की धारा 1 8 के तहत संदर्भ पर अदालत के समक्ष लंबित थी, तो

संशोधित धारा 23 उप-धारा (2) और धारा 28 स्वीकार्य रूप से ऐसी कार्यवाही पर लागू होगी। यह वास्तव में उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था और यहां तक कि कुनालाजनुन्नियावारु मामले (सुप्रा) में भी

इसे संयुक्त स्थिति के रूप में स्वीकार किया गया था। चिन्नप्पा रेड्डी। जे. कांडयानुनानियावारु मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए देखा की “वास्तव में नयी धारा 23 (2) आवश्यक रूप से ऐसे पंचाट पर लगी होगी जो कलेक्टर या न्यायलय द्वारा संसोधित अधिनियम के लागु होने बाद बनाये गए है ।

.(सुप्रा) ने देखा (एससीसी पृष्ठ 584): "नई धारा 23 (2), निश्चित रूप से,

7 -जहां तक दोनों पहलुओं का संबंध है, इस मुद्दे को समझना अनिवार्य है कि जैसा कि संविधान पीठ को संदर्भित किया गया है। जैसा कि ध्यान देने योग्य है, बड़ी बेंच ने कहा कि संदर्भ संशोधन अधिनियम की धारा 30 (2) की व्याख्या बी तक सीमित था। संविधान पीठ ने

संसद के इरादे को नोट किया, संशोधन अधिनियम की धारा 30 (2) का उल्लेख किया और उस संदर्भ में कहा कि:

"32. प्रश्न यह है कि ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या किसी आदेश का शब्दों का क्या अर्थ है? क्या वे सीमित हैं, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है, कलेक्टर या न्यायालय के एक पुरस्कार के खिलाफ अपील करने के लिए 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच किए गए, या क्या वे भी शामिल हैं, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है, 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच निपटाए गए अपील, भले ही

- कलेक्टर या न्यायालय ने 30-4-1982 से पहले बनाया था। हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं द्वारा रखी गई व्याख्या को उत्तरदाताओं द्वारा दी गई व्याख्या पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसद ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की पहचान करते हुए इसे "ऐसे किसी भी पुरस्कार" के खिलाफ अपील के रूप में वर्णित किया है। उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत करना यह है कि शब्द "ऐसा कोई पुरस्कार" कलेक्टर या न्यायालय द्वारा किए गए पुरस्कार का अर्थ है, और कोई अधिक सीमित अर्थ नहीं है; और इस संदर्भ में, धारा 30 (2) की भाषा पर, अपील में आदेश 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच किया गया एक अपीलीय आदेश है - जिस स्थिति में कलेक्टर या न्यायालय का संबंधित पुरस्कार 30-4-1982 से पहले किया जा सकता है। हमारे विचार से, शब्द "ऐसा कोई भी पुरस्कार" उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए व्यापक अर्थ को सहन नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय आदेश की पहचान के माध्यम से विवरण के ऐसे कोई शब्द आवश्यक नहीं थे। स्पष्ट रूप से, मूल अधिनियम में विचारित मंचों की मौजूदा पदानुक्रमित संरचना को ध्यान में रखते हुए, वे अपीलीय

आदेश केवल कलेक्टर या न्यायालय के अवार्ड के खिलाफ अपील में उत्पन्न होने वाले आदेश हो सकते हैं। शर्त •• इस तरह के किसी भी पुरस्कार "गहरा महत्व है करने का इरादा कर रहे हैं, और संदर्भ में जो उन शर्तो धारा में दिखाई देते हैं 30(2) यह स्पष्ट है कि वे कलेक्टर या न्यायालय द्वारा किए गए पुरस्कार के बीच उल्लेख करने का इरादा कर रहे हैं 30-4-1982 और 24-9-1984. अन्य मे

शर्त अधिनियम की धारा 30 (2) लाभ प्रदान करती है

उन मामलों में संवर्धित सांत्वना की जहां कलेक्टर या न्यायालय द्वारा पुरस्कार 30-4-1982 और 24-91984 के बीच किया जाता है या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए ऐसे पंचाटों के खिलाफ अपील करने के लिए, चाहे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 24-9-1984 से पहले या उस तारीख के बाद दिए गए हों। केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि समाहर्ता या न्यायालय द्वारा पंचाट 30-4-1982 और 249-1984 के बीच दिया जाना चाहिए था। हम खुद को Kcnnalajanannanniavaru v. Special Land Acquisition OfficerL में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत पाते हैं। और भाग सिंह बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र 2 में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में खुद को असमर्थ पाते हैं। बाद के मामले में धारा 30 (2) को दिया गया विस्तारित अर्थ, हमारी राय में, उस उप-धारा की भाषा से यथोचित रूप से प्रवाहित नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों ने धारा 30(2) में "ऐसा कोई पुरस्कार" के सह-स्थान में "ऐसे" शर्त के महत्व को याद किया। उस शर्त को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, और हमारायह अनिवार्य रूप से इरादा होना चाहिए कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील, जिसमें संवर्धित सांत्वना का लाभ दिया जाना है, कलेक्टर के एक पुरस्कार के खिलाफ अपील तक ही सीमित होना चाहिए या न्यायालय का 30-4-1982 और 24-9-1 984 के बीच प्रदान किया गया "।

8.उपरोक्त बड़ी बेंच का फैसला। जैसा कि हम पाते हैं, केवल दो तिथियों, अर्थात् 30 अप्रैल, 1982 और 24 सितंबर, 1984 के बीच पारित पुरस्कार के संबंध में सांत्वना के अनुदान से ;पुरस्कार से संबंधित नहीं था।

9.केएस परिपूर्णन (II) (सुप्रा) मामले में, तीन -जज बेंच ने रघुबीर सिंह के मामले में निर्धारित कानून की सराहना की और भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) की धारा 30 (2) का उल्लेख किया जो एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 3 1 को पुन: प्रस्तुत किया और फिर इस प्रकार कहा:

"इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि 30-4-1982 से पहले किए गए लंबित संदर्भ में भी, यदि सिविल कोर्ट 30-4-1982 और 24-9-1984 के बीच एक पंचाट बनाता है, तो धारा 30 (2) लागू होती है और इस तरह बढ़ी हुई सांत्वना दावेदारों के लिए उपलब्ध थी। चूंकि धारा 30(2) धारा 23(2) और धारा 23(2) में दोनों संशोधनों से संबंधित है।

(ख) और धारा 1 8 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 28

क्रमशः, संशोधन अधिनियम के तर्क की समानता से वही अनुपात उन तिथियों के बीच सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए पुरस्कारों पर लागू होता है। इस बारे में निर्णयों का टकराव कि क्या अल्पकालिक प्रावधानों की धारा 30 (2) के माध्यम से संशोधन अधिनियम की धारा 5 (बी) द्वारा संशोधित धारा 23 (2) लागू होगी या नहीं? रघुबीर सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा उच्च न्यायालय और सहायक न्यायालय में लंबित अपीलों का समाधान किया गया था यह मानते हुए कि कलेक्टर या न्यायालय के बीच किए गए पुरस्कार 13-4-1982 और 24-9-1984 अकेले धारा 13-4-1982 और 24-9-1984 की ओर आकषत होंगे। (क) में उल्लिखित है। प्रतिबंधित व्याख्या होनी चाहिए इसका अर्थ यह नहीं समझा जा सकता है कि धारा 23(2)

के आसपास अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय या उसके बाद सिविल न्यायालय का अधिनिर्णय लंबित है। इस मामले में, माना जाता है कि अधिनियम लागू होने के बाद सिविल कोर्ट का पुरस्कार दिया गया था, अर्थात्, 28-2-1985।

10.रघुबीर सिंह मामले में बताए गए सिद्धांत के अवलोकन पर और केएस परिपूर्णन (II) मामले में जो स्पष्ट किया गया है, हम नहीं पाते कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय संविधान पीठ में प्राधिकरण के विपरीत है। यह धारा 30(2) की भी अलग व्याख्या नहीं करता है कि संविधान पीठ ने क्या कहा है। वास्तव में, केएस परिपूर्णन (II) स्पष्ट रूप से उन पुरस्कारों के बारे में बताते हैं जो अधिनियम के लागू होने के बाद अदालत द्वारा पारित किए गए हैं जो रघुबीर सिंह के मामले में निर्धारित अनुपात के अनुरूप हैं। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केवल यह टिप्पणी की है कि रघुबीर सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा रखी गई प्रतिबंधित व्याख्या (सुप्रा) को यह नहीं बताना चाहिए कि धारा 23(2) अधिनियम के लागू होने के समय लंबित सिविल कोर्ट के अधिनिर्णयों पर लागू नहीं होगी स्त्री या उसके बाद: इस प्रकार, विवाद जिसके साथ तीन-न्यायाधीश पीठ की सुनवाई बिल्कुल अलग थी और उसके द्वारा व्यक्त विचार रघुबीर सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के बिल्कुल अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह प्रावधानों के अनुरूप भी है अधिनियम की धारा 23(2) में अन्तविष्ट इसलिए, हम केएस परिपूर्णन (11) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखते हैं क्योंकि हम इस दृढ़ राय के हैं कि रघुबीर सिंह के मामले में उजागर नियम को उचित रूप से समझा गया है।

11.ऐसा कहने के बाद, सामान्यत हम मामले को दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का निदेश देते, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। हमें वाद में अवगत कराया गया है कि इस मामले में निर्णय संदर्भ अदालत द्वारा 30 सितंबर, 1985 को पारित किया गया था। इसलिए

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केएस परिपूर्णन (11) में कहा गया सिद्धांत पूरी तरह से लागू होगा।

12.आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने कहा है कि केएस परिपूर्णन (11) (सुप्रा) में कहा गया सिद्धांत लागू नहीं होगा। उक्त दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता केएस परिपूर्णन (11) में निर्धारित कानून के अनुसार लाभ का हकदार होगा। बार में यह विवादित नहीं है कि केएस परिपूर्णन (आई) बनाम केरल राज्य में निर्णय के मद्देनजर अपीलकर्ता धारा 23 (एलए) के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं [9] .

13.यदि हम दूसरे दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे

सुंदर बनाम भारत संघ में इस न्यायालय की संविधान पीठ [0] ने कहा है कि:

"24. अधिनियम की धारा 34 का परंतुक स्थिति को और स्पष्ट करता है। परंतुक में कहा गया है कि "यदि इस तरह के मुआवजे" का भुगतान भूमि पर कब्ज़ा लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, तो एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से उस मुआवजा अथवा उसके भाग पर, जिसका ऐसी समाप्ति की तारीख से पूर्व संदाय अथवा जमा नहीं किया गया है, भूमि पर ब्याज बढ़ाकर 15% प्रतिवर्ष किया जाएगा। यह अकल्पनीय है कि सांत्वना

राशि केवल एक वर्ष की समाप्ति से ब्याज की बढ़ी हुई दर को आकर्षित करेगा और पूर्ववर्ती अवधि के दौरान सांत्वना राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। विधायिका का इरादा क्या था

अधिनियम की धारा 23 के तहत कुल राशि को व्यक्ति के हाथों तक पहुंचने के लिए जब भी पुरस्कार पारित किया जाता है, किसी भी पर जैसे ही वह अपनी जमीन के कब्जे से वंचित हो जाता है। उक्त के भुगतान में किसी भी देरी से पार्टी को सक्षम होना चाहिए

उक्त सांत्वना राशि पर ब्याज पाने के लिए जब तक कि वह भुगतान प्राप्त नहीं करता। अलग-अलग घटकों में मुआवजा को विभाजित करना धारा 34 के तहत ब्याज के भुगतान का उद्देश्य

.विधायिका का चिंतन नहीं था जब उस धारा को बनाया या अधिनियमित किया गया था।

27. हमारे विचार में विधि का पूर्वोक्त कथन

व्याख्या का गंभीर सिद्धांत। इसलिए मुआवजा का हकदार व्यक्ति सांत्वना राशि सहित कुल राशी पर व्याज भी पाने का हक़दार है

संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

14. हमने पूर्वोक्त प्राधिकारी को प्रचुर सावधानी से संदर्भित किया है ताकि राशि की गणना करते समय प्रतिवादी इसे ध्यान में रखे। कहने की जरूरत नहीं है, अगर प्रतिवादी निर्णय का अनुपालन नहीं करता है निष्पादन लगाया जा सकता है और उस समय इस पहलू पर भी ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि यह डिक्री का एक हिस्सा है।

15. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है और यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता ऊपर बताए गए लाभों के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री संशोधित की जाती है। प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर निष्पादन अदालत के समक्ष राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि कोई राशि पहले ही जमा की जा चुकी है, तो राशि की गणना करते समय उसे ध्यान में रखा जाएगा। मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई ।

कल्पना के. त्रिपाठी

<u>यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>